पुलिस कमिश्नरेट, लखनऊ

प्रेस–विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 25–07–2021

दिनांक 24/25–07–2021 को रात्रि थाना बन्थरा 01, गुडम्बा 01 अभियुक्त गिरफ्तार। **इस प्रकार वांछित में कुल 02 अभियुक्त गिरफ्तार।**

भा0द0वि0

थाना पारा–दिनांक 25–07–2021 को थाना पारा द्वारा बताया गया कि श्री अरविन्द कुमार गौतम पुत्र राम अवतार गौतम निवासी–भगवन्तापुर थाना बेनीगंज जिला हरदोई, हालपता–10/12 आन्सिक सदरौना थाना पारा लखनऊ ने थाना पारा पर सूचना दिया कि दिनांक 24–07–2021 की रात्रि में उसके भाई नीरज कुमार गौतम पुत्र रामअवतार गौतम उम्र 35 वर्ष की जलालपुर रेलवे क्रांसिग फाटक पर किसी अज्ञात ट्रेन की चपेट में आ जाने से मृत्यु हो गयी है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री अनुराग द्विवेदी मो0 9140479383 थाना पारा द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक शराब के नशे में रेलवे पटरी से होते हुए अपने घर जा रहा था कि किसी अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मृत्यु हो गयी। मृतक मजदूरी करता था। मृतक के 02 पुत्री व 01 पुत्र हैं।

थाना गाजीपुर–दिनांक 25–07–2021 को थाना गाजीपुर द्वारा बताया गया कि वादिनी श्रीमती अंजू दीक्षित पत्नी शशांक दीक्षित निवासी–22/406 इन्दिरानगर, गाजीपुर लखनऊ ने थाना गाजीपुर पर सूचना दिया कि वादिनी ने अपनी पुत्री श्रुति दीक्षित का विवाह हिन्दू रीति–रिवाज के साथ दिनांक 22–04–2016 को श्री सुरेन्द्र शुक्ला के पुत्र अंकित शुक्ला निवासी–557/30ए, ओमनगर आलमबाग लखनऊ के साथ किया गया था। विवाह के कुछ वर्ष पश्चात दामाद (अंकित शुक्ला) पक्ष वादिनी की पुत्री से अतिरिक्त दहेज की व चार पहिया गाड़ी की मांग करने लगा। वादिनी की पुत्री ने ससुराल पक्ष से कहा कि उसके पिता जी की हैसियत चार पहिया गाड़ी देने की नहीं है। इसलिए वह उनकी यह मांग पूरी नहीं कर पायेंगे। वादिनी का दामाद (अंकित शुक्ला) शराब पीकर वादिनी की पुत्री को मारता–पीटता व सास–ससुर भी वादिनी की पुत्री को प्रताड़ित करते थे। दिनांक 10–07–2021 को वादिनी के दामाद ने वादिनी की पुत्री के मुंह पर शीशे की बोतल संभवतः बीयर की बोतल से मारा पीटा, जिससे उसकी पुत्री के आगे के ऊपर के दो दांत टूट गये। दिनांक 20–07–2021 को लगभग 1.30 से 2.00 बजे दोपहर के बीच वादिनी की पुत्री वादिनी के आवास पर अपने साढ़े चार वर्षीय पुत्र के साथ आयी और बदहवास से कहने लगी कि अंकित ने उसे जान से मारने की कोशिश की है, वह किसी तरह से जान बचाकर आयी है। वादिनी की पुत्री ने कहा कि उसे 02 मिनट आराम कर लेने दो फिर वह सारी घटना उन लोगों को बताती है। यह कहकर वादिनी की पुत्री कमरे में जाकर कमरे की कुण्डी लगा ली, वादिनी व उसके परिजनों ने सोचा कि उसकी पुत्री काफी थकी–हारी है इसलिए कुछ देर तक वह लोग कुछ नहीं बोले, लेकिन कुछ देर बाद जब वादिनी व उसके परिजन उसकी पुत्री को पुकारने लगे तो कमरे से कोई आवाज नहीं आयी जिससे उन लोंगो को किसी अनहोनी की आशंका हुई तो दरवाजे को धक्का देकर दरवाजे को खोला तो देखा कि वादिनी की पुत्री बेड के ऊपर दुपट्टे से फांसी लगाकर लटक गयी है, फिर वादिनी ने अपने पति को फोन करके बुलाया और साथ ही वादिनी की छोटी बेटी ने अपने मोबाइल से अपने बहनोई श्री अंकित शुक्ला को फोन करके उक्त घटना की सूचना दी जो घटना स्थल पर आये और वादिनी का बैग और उसकी मोबाइल अपने साथ ले गये। वादिनी और उसके परिजन बदहवास स्थिति में उसकी पुत्री को लोहिया चिकित्सा संस्थान ले गये जहां डाक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। वादिनी की पुत्री को उसके पति अंकित शुक्ला एंव उसके ससुराल वालों की प्रताड़ना एंव मारपीट से तंग आकर फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली है। **इस सूचना पर थाना गाजीपुर पर मु0अ0सं0 384/2021 धारा 498ए/323/304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना ए0सी0पी0 गाजीपुर द्वारा की जा रही है।**